स्वीकृति दिये जाने की तारीख बता पाना संभव नहीं है ।

(ग) उन मामलों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर बाई पासों के निर्माण पर विचार किया जाता है जहां सिटी की सीमाओं से होकर गुजरने वाली मौजूदा सड़क, उपलब्ध 30 मीटर से कम चौड़ी भूमि से अनुपयुक्त राष्ट्रीय राजमार्ग लिंक बनाती है और जहां भीड़-भाड़ की समस्यायें हों जिससे गुजरने वाली यातायात के निर्बाध प्रवाह में बाधा पड़ती हो ।

(घ) बड़े शहरों के लिये बाई पास परियोजनाओं में निहित खर्च अपेक्षाकृत अधिक होता है और भूमि अधिग्रहण, कुछ मामलों में वनों की सफाई उपयोगी सेवाओं को हटाना/स्थान बदलना, पर्यावरण परिरक्षण इत्यादि के संबंध में प्राधिकरणों की बहुलता के कारण परियोजनायें अपेक्षाकृत जटिल होती हैं । अत: ऐसी परियोजनाओं को अंतिम रूप देने और उनके वित्त पोषण में, छोटे शहरों की बाई-पास परियोजनाओं की तुलना में, अधिक समय लगता है ।

राष्ट्रीय परिवहन समिति की सिफारिशें

1567. **श्री अजीत जोगी :** क्या **जल-भूतल परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रीय परिवहन समिति ने 1984 में यह सिफारिश की थी कि मध्य प्रदेश की सात सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित कर दिया जाये परन्तु बार-बार अनुरोध किये जाने के बावजूद भी उनमें से किसी भी सड़क को अभी तक राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के संबंध में सरकार की नीति क्या है और राष्ट्रीय परिवहन समिति की सिफारिशों को कितनी प्राथमिकता दी जाती है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्री (श्री के० पी० उन्नी कृष्णन) (क) राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति ने मई, 1980 में 37 मार्गों को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किये जाने की सिफारिश की थी जिन की कुल लम्बाई 12,955 कि०मी० है और जिनमें मध्य प्रदेश की नौ राज्य सड़कें शामिल हैं । इन सड़कों में से दो सड़कों अर्थात (i) जयपुर–कोटा–बियोरा (से भोपाल) और (ii) निजामुद्दीन–जगदलपुर को पहले ही राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित किया जा चुका है । अन्य सड़कों को संसाधनों की कमी तथा अन्य प्राथमिकताओं के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग ग्रिड में शामिल नहीं किया जा सका ।

(ख) देश में नये राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा, राष्ट्रीय परिवहन नीति समिति की सिफारिशों, संसाधनों की उपलब्धता, पारस्परिक प्राथमिकताओं और इस संबंध में राज्य सरकारों से प्राप्त विभिन्न प्रस्तावों के अलावा निम्नलिखित मार्गदर्शी निर्देशों में रखकर की जाती है:—

(i) सड़कें जो पूरे देश से होकर गुजरती हैं ;

(ii) पड़ोसी देशों को जोड़ने वाली सड़कें;

(iii) राज्य की राजधानियों को जोड़ने वाली सड़कें,

(iv) महापत्तनों और महत्वपूर्ण औद्योगिक अथवा पर्यटन केन्द्रों को जोड़ने वाली सड़कें,

(v) बहुत महत्वपूर्ण सामरिक जरूरतों को पूरा करने वाली सड़कें,

(vi) सड़कें जिनकी पर्याप्त लम्बाई में उच्च सघनता वाला ट्रैफिक चलता है, और

(vii) ऐसी सड़कें जिनसे यात्रा की दूरी में काफी कमी आयेगी और जिससे काफी किफायत होगी ।